क्रम-संख्या —6 (ख–2)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 14 जनवरी, 2003

पौष 24, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग–1

संख्या 4000/41–2002–20–99
लखनऊ, 14 जनवरी, 2003

अधिसूचना

प० आ०-69

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1975) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश होटलों में सुख-साधन कर नियमावली, 1975 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश होटलों में सुख-साधन कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2003

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश होटलों में सुख-साधन कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2003 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होटलों में सुख-साधन कर नियमावली, 1975 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 4 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार प्रत्येक स्वामी उस मास की, जिसके सम्बन्ध में विवरणी हो, समाप्ति के पश्चात् सात दिन के भीतर नियम 16 के अधीन अपने द्वारा रखी गई होटलों में सुख-साधन कर प्रपत्र–2, होटलों में सुख-साधन कर प्रपत्र–3 तथा होटलों में सुख-साधन कर प्रपत्र–4 में विवरणी प्रस्तुत करेगा।	(1) इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार प्रत्येक स्वामी उस मास की, जिसके सम्बन्ध में विवरणी हो, समाप्ति के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर नियम 16 के अधीन अपने द्वारा रखी गई होटलों में सुख-साधन कर प्रपत्र–2, होटलों में सुख-साधन कर प्रपत्र–3 तथा होटलों में सुख-साधन कर प्रपत्र–4 में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

नियम 6 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) कर निर्धारण अर्धवार्षिक किया जायेगा और यह मार्च और सितम्बर को समाप्त होने वाली छः मास की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के लिये जिसे राज्य सरकार निर्धारित करे, होगा।	(2) कर निर्धारण वार्षिक किया जायेगा और यह कलेण्डर वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ और अगले कलेण्डर वर्ष में पड़ने वाले 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि के लिये होगा।

नियम 9 का संशोधन

4—उक्त नियमावली में, नियम 9 में, उप नियम (1) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(च) पर पन्द्रह रुपये के मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प लगाया जायेगा।	(च) पर एक सौ पचास रुपये के मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प लगाया जायेगा।

नियम 11 का संशोधन

5—उक्त नियमावली में, नियम 11 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) उप नियम (1) के अधीन दिये गये आवेदन-पत्र के साथ प्रथम पृष्ठ या उसके भाग के लिए दो रुपये की दर से और प्रत्येक अनुवर्ती पृष्ठ के लिए उसी दर से फीस दी जायेगी, किन्तु ऐसे अनुवर्ती पृष्ठ के आधे से कम को छोड़ दिया जायेगा। इस उप नियम के प्रयोजनार्थ एक पृष्ठ 260 शब्द का समझा जायेगा।	(2) उप नियम (1) के अधीन दिये गये आवेदन-पत्र के साथ प्रथम पृष्ठ या उसके भाग के लिए बीस रुपये की दर से और प्रत्येक अनुवर्ती पृष्ठ के लिए उसी दर से फीस दी जायेगी, किन्तु ऐसे अनुवर्ती पृष्ठ के आधे से कम को छोड़ दिया जायेगा। इस उप नियम के प्रयोजनार्थ एक पृष्ठ 260 शब्द का समझा जायेगा।

नियम 18 का संशोधन

6—उक्त नियमावली में, नियम 18 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) यदि कलेक्टर को ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि आवेदक अधिनियम के अधीन कर का देनदार नहीं है तो वह, केवल दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर, होटलों में सुख-साधन कर प्रपत्र–9 में अकराधेयता का प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।	(2) यदि कलेक्टर को, ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि आवेदक, अधिनियम के अधीन कर का देनदार नहीं है तो वह, केवल एक सौ रुपये की फीस का भुगतान करने पर होटलों में सुख-साधन कर प्रपत्र-9 में अकराधेयता का प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

या नियम 19 और 20 का बढ़ाया जाना

7—उक्त नियमावली में, नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"19—किसी श्रेणी का होटल, जो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा धारा 4 के अधीन मान्यता प्राप्त या अनुमोदित या वर्गीकृत हो, अधिनियम की धारा 4-क के अधीन कर छूट या आस्थगन से छूट या आस्थगन के लिये, होटल के रूप में कारबार के संव्यवहार के प्रारम्भ से छः मास के भीतर आवेदन कर सकता है।"

करने की पात्रता

स्पष्टीकरण :— होटल के रूप में कारबार के संव्यवहार के प्रारम्भ का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जिस पर होटल में ठहरने के लिये प्रथम अतिथि आये और यह होटल के रजिस्टर में अभिलिखित हो।

"20—नियम 19 में निर्दिष्ट किसी श्रेणी का होटल, अधिनियम की धारा 4-क के अधीन, कर से छूट या आस्थगन के लिये, महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश को आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात्:—

आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज

(क) स्वामित्व का प्रमाण-पत्र,

(ख) भवन योजना के अनुमोदन का दस्तावेजी प्रमाण,

(ग) होटल प्रारम्भ होने से सम्बन्धित दस्तावेजी प्रमाण,

(घ) मान्यता या अनुमोदन या वर्गीकरण से सम्बन्धित दस्तावेजी प्रमाण,

(ङ) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र,

(च) अग्निशमन दल विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र,

(छ) सम्बन्धित स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।"

आज्ञा से,
मंजुलिका गौतम,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4000/XLI–2002–20-99, dated January 14, 2003 :

No. 4000/XLI–2002–20-99

Dated Lucknow, January 14, 2003

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 13 of the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975 (Act no. 8 of 1975), *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. II of 1904) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Luxuries (in hotels) Tax Rule 1975 :

THE UTTAR PRADESH LUXURIES (IN HOTELS) TAX (FIRST AMENDMENT) RULES, 2003

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Luxuries (in hotels) Tax (First Amendment) Rules, 2003. Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Luxuries (in Hotels) Tax Rules, 1975 hereinafter referred to as the said rules, in rule 4, *for* existing sub-rule (1) set out in column-1 below the sub-rule as set out in column–2 shall be *substituted*, namely:— Amendment of rule 4

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) Every proprietor liable to pay tax under the Act shall submit a return in LT Form–II, LT Form-III and LT Form-IV maintained by him under Rule 16 within fifteen days after the end of the month to which the returns relate.	(1) Every proprietor liable to pay tax under the Act shall submit a return in LT Form–II, LT Form-III and LT Form-IV maintained by him under Rule 16 within fifteen days after the end of the month to which the returns relate.

Explanation : Commencement of the transaction of business as the hotel, means such date on which the first customer checks in, to stay in the hotel and it is recorded in the register of the hotel.

20. "A class of hotel referred to in rule 19 may apply to the Director General Tourism Uttar Pradesh for tax exemption or deferment under section 4-A of the Act. The application shall be accompanied with the following documents, namely:—

Documents required with an application

(a) certificate of ownership;

(b) documentary proof of approval of building plan;

(c) documentary proof regarding commencement of hotel,

(d) documentary proof regarding recognition or approval or classification;

(e) no objection certificate of Pollution Control Board;

(f) no objection certificate from Fire Brigade Department;

(g) no objection certificate from concerned local body."

By order,

MANJULIKA GAUTAM,

Pramukh Sachiv.

एस० यू० पी०–ए० पी० 972 राजपत्र (वि०)—2003—(2258)—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

एस० यू० पी०–ए० पी० 11 सा० पर्यटन—2003—(2259)—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

क्रम-संख्या —215

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 जुलाई, 1999

श्रावण 7, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1622/सत्रह-वि-1—1 (क) 31-1999

लखनऊ, 29 जुलाई, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 29 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1999) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं।

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 1999

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1999]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1975 की धारा 3 का प्रतिस्थापना

2—उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"3—इस अध्याय में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

परिभाषायें :—

(क) "अमरीकी पद्धति" का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि के भोजन का प्रभार सम्मिलित है और जिसमें शाम की चाय का प्रभार भी सम्मिलित हो सकता है;

(ख) "यूरोपियन पद्धति" का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबह का नाश्ता का प्रभार भी सम्मिलित है;

(ग) "होटल" के अन्तर्गत ऐसी आवासीय इकाई है जिसमें ग्राहकों को किराये पर कमरे दिये जाते हैं किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट योजना के अधीन अनुमोदित इकाइयां सम्मिलित नहीं है;

(घ) "सुख-साधन" का तात्पर्य ऐसी सुख-सुविधाओं से है जो किसी होटल में ऐसे कमरों या कमरों की कोष्ठावलि के जिनका किराया एक हजार रुपया प्रतिदिन अथवा उससे अधिक हो, अधिभोगियों के लिए व्यवस्थित की जाय;

(ङ) "सुख-साधन कर" या "कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत कर से है;

(च) "उपान्तरित अमरीकी पद्धति" का तात्पर्य ऐसी टैरिफ योजना से है जिसमें कमरे के किराये में सुबह का नाश्ता और दोपहर के भोजन या रात्रि के भोजन में से किसी एक का प्रभार भी सम्मिलित है;

(छ) "स्वामी" का तात्पर्य होटल के स्वामी से है और उसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो होटल के प्रबन्ध का तत्समय प्रभारी हो;

(ज) "किराया" का तात्पर्य किसी होटल के कमरे या कमरों की कोष्ठावलि के अधिभोगी से वास्तविक रूप में प्राप्त किये गये समस्त प्रभार, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है और इसके अन्तर्गत वातानुकूलन, कुलर, हीटर गीजर, टेलीविजन, रेडियो, संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त शैय्या या लिनेन से निर्मित वस्तुयें भी सम्मिलित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत भोजन या पेय या ऐसी अन्य वस्तुओं के प्रभार, जिनकी बिक्री पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन व्यापार कर देय है, सम्मिलित नहीं है।

स्पष्टीकरण—1 किसी कमरे या कमरों की कोष्ठावलि में ठहरने वाले व्यक्तियों की संख्या का विचार किये बिना कमरे या कमरों की कोष्ठावलि को एक इकाई के रूप में मानकर कर का उद्ग्रहण किया जायेगा। जहां कहीं स्वामी द्वारा विभिन्न टैरिफ योजनाओं, जैसे यूरोपीय, अमरीकी या उपान्तरित अमरीकी पद्धति के अधीन प्रभारों की एक सम्मिश्रित दर, जिसके अन्तर्गत आवास, भोजन और पेय तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के प्रभार भी सम्मिलित हैं, नियत की गयी हो, वहां इस अधिनियम के अधीन कर का उद्ग्रहण ऐसे प्रभार के उस भाग पर जिस पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन व्यापार कर उद्ग्रहणीय है, नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—2 जहां कहीं स्वामी द्वारा प्रभार की उद्ग्रहण वसूली दैनिक दर से भिन्न दर के आधार पर की जाय, वहां कर का निर्धारण करने या कमरों की कोष्ठावलि के उपयोग की कुल अवधि के आधार पर संगणित औसत दैनिक प्रभार पर किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—3 जहां कहीं स्वामी किसी प्रकार की छूट प्रदान करता हो और प्रभारों की वसूली कमरे या कमरों की कोष्ठावलि के लिये टैरिफ की प्रकाशित या घोषित दर से भिन्न दर पर करता हो, वहां कर का उद्ग्रहण स्वामी द्वारा प्रकाशित या घोषित प्रभारों पर न करके वास्तविक रूप से वसूल किये गये प्रभारों पर किया जायेगा।"

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा,

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी,

अर्थात् :—

"(2) सुख-साधन कर की संगणना करने में एक रुपये के ऐसे भाग को, जो पचास पैसे या उससे अधिक हो, एक रुपया मान लिया जायेगा और जो पचास पैसे से कम हो उसे छोड़ दिया जायेगा।

नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"4-क—(1) राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह अधिरोपित करे,

कर की छूट और आस्थगन

किसी श्रेणी के होटलों, या किसी होटल में व्यस्थित किये जाने वाले किसी विशिष्ट श्रेणी के सुख साधनों को इस अधिनियम के अधीन देय कर के पूर्ण या किसी भाग के, भुगतान से अधिसूचना द्वारा, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक हो, छूट प्रदान कर सकती हैं या पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये ऐसे कर के पूर्ण या किसी भाग के भुगतान के आस्थगन के लिये अनुज्ञा दे सकती है।

(2) जहां किसी स्वामी ने उपधारा (1) के अधीन किसी छूट या आस्थगन का उपभोग कर लिया हो, और स्वामी द्वारा ऐसी छूट या आस्थगन की किन्हीं शर्तों का अनुपालन किसी भी कारण से नहीं किया गया है, वहां ऐसा स्वामी छूट या आस्थगन की अवधि के लिये कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा मानों उसे ऐसी छूट या आस्थगन की अनुज्ञा नहीं दी गयी थी।"

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1622 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-31-1999

Dated Lucknow, July 29, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Karadhan Tatha Bhoo-Rajashwa Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 29, 1999.

THE UTTAR PRADESH TAXATION AND LAND REVENUE LAWS (AMENDMENT) ACT, 1999

[U.P. ACT NO. 34 OF 1999]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws (Amendment) Act, 1999.

Substitution of section 3 of U.P. act no. 8 of 1975

2. *For* section 3 of Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"3. In this chapter unless the context otherwise requires—

Definitions :

(a) "American Plan" means the tariff plan in which the rent of the room includes the charges for the breakfast, the lunch and the dinner and may include the charges for the evening tea;

(b) "Continental Plan" means the tariff plan in which the rent for the room includes the charges for the breakfast;

(c) "Hotel" includes an accommodational unit wherein rooms are provided to the customers on rent, but does not include the units approved under the 'Paying Guest Scheme' of the Department of Tourism of the Government of Uttar Pradesh;

(d) "Luxuries" means such amenities as are provided in a hotel to the occupants of such rooms or suites therein as carry a rent of rupees one thousand or more per day;

(e) "Luxury Tax" or "The Tax" means the tax levied under section 4;

(f) "Modified American Plan" means the tariff plan in which the rent of the room includes the charges for the breakfast, and one meal, either lunch or dinner;

(g) "Proprietor" means the owner of the hotel and includes the person, who, for the time being, is incharge of the management of the hotel;

(h) "Rent" means the aggregate of all charges by whatever name called, actually received from the occupant of a room or suite in a hotel and includes charges for air-conditioning, cooler, heater, geyser, television, radio, music, entertainment, extra bed, or linen articles but does not include the charges for food or drinks or such other items, on the sale of which trade tax is payable under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

Explanation—1 Irrespective of the number of persons staying in a room or suite the tax shall be levied, considering the room or the suite as a unit. Wherever a composite rate of charges has been fixed by the proprietor including charges of accommodation, food and drinks and the like under the various tariff plans such as, Continental, American or Modified American Plan, the tax under this Act shall not be levied on that part of such charges on which Trade Tax is leviable under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

Explanation—2 Wherever the charges are realized by the proprietor on the basis of a rate, other than the daily rate, the assessment of the tax, shall be made on the average daily charges calculated on the basis of the total period of use of the room or suite.

Explanation—3 Wherever the proprietor gives any kind of discount and realize charges at a different rate than the published or declared rate of tariff for the rooms or suites, the tax shall be levied on the charges actually realized and not on the charges published or declared by the proprietor."

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act,—

(a) In sub-section (1) the proviso shall be *omitted;*

(b) *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(2) In computing the luxury tax a fraction of a rupee which is fifty paise or more shall be taken as rupee one and which is less than fifty paise shall be ignored."

4. *After* section 4 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely:— Insertion of new section 4-A

"4-A. (1) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, *if it is necessary* so to do in the public interest, by notification, exempt any class of hotels or any specific class of luxuries provided in a hotel from payment of the whole or any part of the tax payable under this Act or allow for deferment of the payment of the whole or any part of such tax, for a period not exceeding five years. Exemption and deferment of tax

(2) Where a proprietor has availed of any exemption or deferment under sub-section (1) and any of the conditions for such exemption or deferment has not been complied with by him for any reason whatsoever, then, such proprietor shall, be liable to pay the tax for the period of exception or deferment as if such exemption or deferment had not been allowed to him."

By order,

Y.R. Tripathi,

Pramukh Sachiv.

संख्या 2244/41-99-20/99

प्रेषक,

नरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, पर्यटन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 9 सितम्बर, 1999

विषय–सुख-साधन कर की दरों का पुनर्निर्धारण तथा मापदण्डों एवं प्रक्रिया में संशोधन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०–1043/15–1–958/टी०टी०/1999, दिनांक 13 अगस्त, 1999 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संशोधन हेतु उ०प्र० काराधान एवं भू-राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम 1999, सरकारी गजट (असाधारण)–के विधायी परिशिष्ट (भाग-1, खण्ड क) में अधिसूचना सं०-1622/सत्रह–वि०-1–1(क)/31-99, दिनांक 29 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित/प्रकाशित कर दिया गया है :– पर्यटन अनुभाग

2–उपर्युक्त (संशोधन) अधिनियम 1999 द्वारा प्रतिस्थापित व समाविष्ट प्राविधान अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि अर्थात् 29-7-99 से लागू होंगे।

3–उक्त संशोधन अधिनियम के मुख्य प्राविधान निम्नवत् हैं :–

(क) सुख साधन कर रु० 250/- के स्थान पर रु० 1000/- एवं उससे अधिक किराए पर लागू होगा।

(ख) विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने पर देय छूट समाप्त कर दी गई है। मूल अधिनियम 1975 तथा संशोधन अधिनियम 1994 के प्रस्तर 4 (1) द्वारा विदेशी मुद्रा में भुगतान कर 25 प्रतिशत का रिवेट देय था। प्रश्नगत अधिसूचना दिनांक 29-7-99 द्वारा मूल अधिनियम के प्रस्तर-4 (1) का लोप कर दिया गया है।

(ग) अमेरिकी, यूरोपीय तथा उपान्तरित अमेरिकी पद्धतियों को परिभाषित किया गया है।

(घ) "होटल" को परिभाषित किया गया है तथा इसके अन्तर्गत पेइंग गेस्ट इकाईयां सम्मिलित नहीं की गयी हैं।

(ङ) "किराया" को परिभाषित किया गया है। तद्नुसार किसी होटल के कमरे या कमरों की कोष्ठावलि के अधिभोगी से प्राप्त किया गया वास्तवकि प्रभार, जिसके अन्तर्गत वातानुकूलन, कूलर, हीटर, गीजर टेलिविजन, रेडियो, संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त शैय्या या लिनेन से निर्मित वस्तुओं पर प्रभार सम्मिलित है, किराया माना जाएगा। इसके अतिरिक्त भोजन या पेय या ऐसी अन्य वस्तुओं पर प्रभार, जिन पर व्यापार कर देय है, सम्मिलित नहीं होगा।

(च) संशोधन द्वारा कर की छूट तथा आस्थगन हेतु धारा 4 (क) द्वारा नए प्राविधान सम्मिलित किए गए हैं। ये प्राविधान सम्बन्धित नियमावली अधिसूचित होने के उपरान्त लागू होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
नरेन्द्र कुमार,
अनुसचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-2

संख्या-क०सं०वि०2-1228/ग्यारह-9(96)/98-उ०प्र०अधि०-15-40-आदेश-99

लखनऊ : दिनांक : 17 जून, 1999

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 (उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948) की धारा 4 के खण्ड (ग) के अधीन अधिकार का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते है कि 20 जून, 1999 से नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा पेइंग गेस्ट योजना के अधीन मान्यता प्राप्त किसी इकाई द्वारा देय, नाश्ता और भोजन के विक्रय पर कोई कर देय नहीं होगा।

शर्तें और निर्बन्धन

1-भू-स्वामी उस मकान में स्वयं निवास करेगा जिसमें पांच कमरों (दस शैय्याओं) में पेइंग गेस्ट ठहराये जाते हों और अपने लिए कम से कम दो कमरे अवश्य रखेगा और उन्हें पेइंग गेस्ट को किराये पर नहीं देगा।

2-जिस मकान में पेइंग गेस्ट ठहराये गये हों उसमें किसी रेस्त्रां को चलाने की अनुज्ञा न होगी।

आज्ञा से,
टी० जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
पर्यटन अनुभाग

संख्या-2886/41-94-496/89
लखनऊः दिनांकः 12 अक्टूबर, 1994

अधिसूचना

उत्तर प्रदेशकराधान तथा भू- राजस्व विधि(संशोधन) अधिनियम, 1994(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1994) की धारा-1 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 12 अक्टूबर, 1994 को ऐसा दिनांक नियत करते है जब उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

आज्ञा से,

आशांकशोखर सिंह
प्रमुख सचिव ।

संख्याः 2886(1)/41-94-496/89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

(1) सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
(2) सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
(3) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
(4) निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश ।
(5) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शेषबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
(6) संसदीय कार्य अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5

आज्ञा से,
ह0/
(दुर्गाशंकर मिश्र)
विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार,
पर्यटन अनुभाग

संख्या 2886/41-94-496/88
लखनऊ: दिनांक 12 अक्टूबर, 1994

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1994) की धारा-1 की उप धारा-(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 12 अक्टूबर, 1994 को ऐसा दिनांक नियत करते है जब उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से
शशांक शेखर सिंह
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-26 सन् 1994

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम-1994

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम-1994 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1975 की धारा-3 का संशोधन — 2- उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, खण्ड-ख में, शब्द "पचास रुपया" के स्थान पर, शब्द "दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा-4 का संशोधन — 3- मूल अधिनियम की धारा-4 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात-

"(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो किसी होटल में सुख साधनों से व्यवस्थित कोई कमरा या कमरो की कोष्ठावलि किराये पर लेता है, उस पर किराये के पाँच प्रतिशत की दर पर सुख साधन कर देय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो किराये का संदाय विदेशी मुद्रा में करता है, उसके द्वारा देय कर के पच्चीस प्रतिशत का रिबेट दिया जायेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1994

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू- राजस्व विधि(संशोधन) अधिनियम 1994

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 का अगुतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि(संशोधन)संक्षिप्त अधिनियम, 1994 कहा जायेगा । नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें ।

==========

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1975 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, खण्ड(ख) मे, शब्द "पचास रुपया" के स्थान पर, शब्द "दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेगें ।

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 मे, उपधारा(1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्-

"(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जो किसी होटल मे सुख साधनों से व्यवस्थित कोई कमरा या कमरों की कोष्ठावलि किराये पर लेता है, उस पर किराये के पाँच प्रतिशत की दर पर सुख साधन कर देय होगा :

परन्तु यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो किराये का संदाय विदेशी मुद्रा मे करता है, उसके द्वारा देय कर मे पच्चीस प्रतिशत का रिबेट दिया जायेगा ।"